जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 1204 दिनांकः– 1/10/14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **111वीं बैठक दिनांकः 15.09.14 को** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		111:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 110वीं बैठक दिनांक 28.08.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 110वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 110वीं बैठक दिनांक 28.08.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 110 की पालना के दौरान जिन प्रकरणों में पालना अवशेष है, उनके उपायुक्तों को शीघ्र पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु पत्र लिखे गये है। इनमें स्मरण पत्र जारी किया जावे।
2.	13ए व 8	111:2	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री दिनेश कुमार शर्मा को स्वर्ण विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री दिनेश कुमार शर्मा को एलपीसी की 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 के निर्णयानुसार पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई–244 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर आवंटन पत्र दिनांक 10.07.14 को जारी किया गया था। श्री शर्मा द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर स्वर्ण विहार योजना में भूखण्ड आवंटन का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–8 द्वारा स्वर्ण विहार योजना में भूखण्ड संख्या 296 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर नॉन कॉर्नर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री शर्मा को एलपीसी बैठक दिनांक 25.04.14 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुये स्वर्ण विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 296 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर नॉन कॉर्नर योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	13ए	111:3	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में श्री महादेव गुर्जर को भूखण्ड संख्या ए–136 के स्थान पर भूखण्ड 42 विनिमय करने बाबत।	श्री महादेव गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या ए–136 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर रोड साईज 9 व 12 मीटर पर आवंटित किया गया था। भूखण्ड संख्या ए–136 पर खातेदारों का अतिक्रमण होने के कारण भूखण्ड संख्या 56 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर आवंटित किया गया था। किन्तु भूखण्ड संख्या 56 पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण उपायुक्त जोन–13ए ने समान क्षेत्रफल के भूखण्ड संख्या 12, 39 व 42 में से एक भूखण्ड आवंटन करने का उल्लेख किया है। भूखण्ड संख्या 12 व 39 पर वन विभाग के पेड लगे होने के कारण एक मात्र रिक्त भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर रोड साईज 9 व 12 मीटर विनिमय हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड संख्या 42 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
4.	13ए	111:4	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पात्र 2 शिक्षको को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 2 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>बाबत।</td><td>200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावेः–
1. श्री श्रीकृष्ण शर्मा
2. श्री मेघसिंह दुलड</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>13</td><td>111:5</td><td>अनुसूचित जाति कल्याण समिति, को ग्राम अचरोल में 109वीं बैठक दिनांक 07.08.14 में आरक्षित भूमि में संशोधन करने बाबत।</td><td>अनुसूचित जाति कल्याण समिति को एलपीसी की 109वीं बैठक दिनांक 07.08.14 में अनुसूचित जाति कल्याण समिति के लिए उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित खसरा नं. 2236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 2404 रकबा 3.19 हैक्टेयर व 2410 रकबा 0.30 है0 कुल 4.02 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने की सैद्धान्तिक सहमति देने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि खसरा नं. 2236/7778 क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर अंकित करने से रह गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व बैठक दिनांक 07.08.14 में लिये गये निर्णय में खसरा नं. 2236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 2404 रकबा 3.19 हैक्टेयर व 2410 रकबा 0.30 है0 के साथ ही खसरा नं. 2236/7778 क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>14</td><td>111:6</td><td>ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू में जविप्रा की नव सृजित आवासीय योजना अभिनव विहार विस्तार के ब्लॉक–एफ में से 2500 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।</td><td>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीतरिया को भूमि आवंटन हेतु जविप्रा की नव सृजित आवासीय योजना अभिनव विहार विस्तार के ब्लॉक–एफ में सुविधा क्षेत्र हेतु 4647.14 व. मी. (भू.सं. एफ–1 से एफ–10 तक 12 मीटर रोड के पश्चात स्थित) में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। अनुमोदित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है। भूमि का एण्ड यूज (End Use) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित होने की शर्त पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीतरिया हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>9</td><td>111:7</td><td>जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु तीन स्थानों पर भूमि आवंटन करने बाबत।</td><td>उपायुक्त जोन–9 द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विभिन्न स्थानों पर 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन की मांग को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित 3 योजनाओं में भूमि आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया हैः–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>योजना में उपलब्ध क्षे0 व.ग. में</th><th>आवंटित किये जाने वाला क्षेत्रफल व. ग. में</th><th>योजना निजी खातेदारी/गृ. नि.स.स. /जविप्रा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ओरियन्टल आर्केड</td><td>450 व.ग.</td><td>450 व.ग. (376.25 व. मी.)</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तेजाजी नगर</td><td>726.78 व. ग.</td><td>726.78 व. ग.(607 व. मी.)</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कृषि अनुसंधान नगर</td><td>1550 व.ग.</td><td>598 व.ग. (500 व.मी.)</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
</table>
उक्त भूखण्डों का बीपीसी (एलपी) में एण्ड यूज (End Use) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कराने की शर्त पर योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।</td></tr>
</table>

आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8.	7	111:8	अपोलो गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना हीरा नगर ए, अजमेर रोड, जयपुर में पुलिस चौकी, चित्रकूट को आवंटित 4000 वर्गमीटर भूमि में से हाल संचालित करणी विहार थाने के कब्जे की 2441.77 वर्गगज का संशोधित आवंटन पर विचार कर निर्णय लेने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा चित्रकूट पुलिस चौकी हेतु आवंटित 4000 वर्गमीटर भूमि (पुलिस थाना करणी विहार संचालित) के मौके पर पीटी सर्वे के अनुसार 2441.77 वर्गगज पर ही कब्जा होना पाये जाने से थाने को आवंटित 4000 वर्गमीटर को निरस्त कर चित्रकूट पुलिस चौकी के स्थान पर करणी विहार थाने को 2441.77 वर्गगज भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस चौकी, चित्रकूट को आवंटित 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये करणी विहार थाने का मौके पर वास्तविक कब्जाशुदा भूमि 2441.77 वर्गगज आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
9.	13	111:8(1)	खादीबाग का रास्ता रेलवे फाटक के पास ग्राम चौमू के खसरा नम्बर 4121/7774 रकबा 0.22 है0, 4122/7775 रकबा 0.07 है0, 4152 रकबा 0.28 है0 किता 3 किस्म चरागाह भूमि के आवंटन बाबत।	सहायक अभियंता (अ प्रथम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, चौमू द्वारा खादीबाग का रास्ता रेलवे फाटक के पास ग्राम चौमू में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन द्वारा खादीबाग का रास्ता रेलवे फाटक के पास ग्राम चौमू के खसरा नम्बर 4121/7774 रकबा 0.22 है0, 4122/7775 रकबा 0.07 है0, 4152 रकबा 0.28 है0 किता 3 किस्म चरागाह भूमि में से 18.00 मीटर चौडी सडक छोडने के पश्चात शेष भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर सहायक अभियंता (अ प्रथम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, चौमू को आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग करने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये।
10.	12बी	111:8(2)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु हाथोज विस्तार योजना में भूमि आवंटन करने बाबत।	सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, कालवाड द्वारा हाथोज विस्तार आवासीय योजना में आर.एस.ई.बी के लिए आरक्षित 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त द्वारा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त आरक्षित भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	7	111:8(3)	निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना कनक वृन्दावन योजना ग्राम कनकपुरा में स्थित फेसेलिटी एरिया को जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना कनक वृन्दावन योजना ग्राम कनकपुरा में स्थित फेसेलिटी एरिया क्षेत्रफल 1332.01 वर्गगज में से 500 वर्गमीटर भूमि का बीपीसी (एलपी) में एण्ड यूज (End Use) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कराने की शर्त पर योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि के निस्तारण के प्रस्ताव उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत किये जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 111वीं बैठक दिनांक 15.09.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
6.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0 एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
11.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. सत्यप्रकाश, तहसीलदार जोन–4	विशेष आमंत्रित
13.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित